

## प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांक: 21/8/2017


संख्या आरटीआई/9381/2017-पीएमआर

## कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री रतनलाल प्रेमी से प्राप्त दिनांक 29.7.2017 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 31.7.2017 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गया है।



(प्रवीन कुमार)

अवर सचिव एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

e-mail: [rti-pmo.applications@gov.in](mailto:rti-pmo.applications@gov.in)

☎: 2338 2590

गृह सचिव, गृह मंत्रालय  
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

सचिव, भारत सरकार  
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

✓ श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली

प्रति- (स्पीड पोस्ट द्वारा)

श्री रतनलाल प्रेमी  
प्रजापति हाउस, कृष्णगंज वेस्ट  
पिलखुवा, हापुड़, उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक  
प्राधिकरणों से सम्पर्क करें।

9381/17

31 JUL 2017

जन सूचना अधिकारी

कार्यालय- मानवीय नरेन्द्र मोदी जी

प्रधान मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय: जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपेक्षित

मध्य प्रदेश के समस्त प्रदेशों में राज्य की राजधानी है और वर्षा और बाद का तापमान इसी दिवसों में जानवरो को मिलावट होती है। करोड़ों घर तबाह हो गए हैं। करोड़ों लोगों को मृतक करवा दिया गया है।

यू.पी. काद-वर्षा हर साल आती है और तबाही मचाकर चली जाती है।

इस बाद में किसी संसद सदस्य, मंत्री, एम.एल.ए. का घर तबाह नहीं होता। यही कारण है कि राजादी के बाद में किसी भी सरकार ने इस तबाही को गम्भीरता से नहीं लिया है।

पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्कल चिन्ता व्यक्त कर देश की समाज न्याय को एक स्तर में जोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन वह कार्रवाई नहीं हुई।

अगर कोई भी केन्द्र सरकार इस तबाही को देश की तबाही मानती तो सत्रह सालों में इसे खत्म नहीं तो कम कमियाँ हो सकती हैं।

नामों के लिस्ट अधिनियमों के कारण भी बाढ़ आती है।  
 1- बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए पिछले सत्रह वर्षों में कम प्रयासों-योजनाओं की जानकारी है।

Mp water resources

6653  
 31/7/17  
 5/8/17

4667664

36F711853 R 10/-

- 2- वर्ष 1997-98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, व 2017 में भारी वर्षा व बाढ़, सूख, भूकंप, भूस्खलन, मनापी, बाढ़ल मल, सिद्ध तकाही के मुकाम, मौता की संख्या, की जानकारी दे।
- 3- माननीय पूर्व प्रधान मंत्री डा. अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना की प्रगति की जानकारी दे।
- 4- माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में केन्द्र व राज्य सरकारों को देश के लालाको, झीलो, बावडिया, कुडो, नदियों को आजादी के समय की स्थिति में लाया जाए अर्थात् अतिक्रमणों को हटाया जाए। अहिमत के आदेशों के अनुपालन की प्रगति की जानकारी दे।
- 5- देश के लालाको, कुडो, बावडिया, झीलो, नदियों को कब्रता मुक्त करने की संख्या की जानकारी दे।
- 6- पिछले बीस वर्षों में आपदाओं की रोकथाम व पूर्ववार्त, राहत, मुआवजा पर वर्षों को गई चर्चा की जानकारी दे।
- 7- वर्ष 2015 में वर्षा में चेन्नई में हुई तकाही को देश में अन्य शहरों की तकाही को रोकने के लिए बनाई गई योजना की जानकारी दे।
- 8- डॉ. प्राण ल देश देश का मौसम विभाग चीन चीन को 2017 का 100% देगी। अर्थात् पिछले वर्षों की अपेक्षा ज्यादा।

वर्षा होगी, जिससे नौदफा में बाढ़, शहरों व गांवों में तबाही शुरू होगी। देश व राज्यों को वर्षा - बाढ़ से होने वाली हानि, तबाही को बचाव के लिए किए गए उपायों की जानकारी दे।

9- विश्व का कई ऐसे देश हैं जहां वर्षा भी 100% होती है लेकिन वहां बाढ़ व तबाही नहीं आती। भारत उन देशों की हानि योग्यता / प्रणाली को अपनाने में क्या असफल रहा है जानकारी दे।

10- नौदफा, नाला, तामावा, सीमा, बालिसुआ पर आतंकवाद का नाला में पिछले 20 वर्षों में वसूल गये सुमारे व मरदा की जानकारी दे।

निर्धारित शुल्क इस रूप में का पोस्टल चार्ज 36 F 7118 53 संलग्न है। अगले आवेदनपत्र अथवा उसके किसी बिन्दु का आपसे सम्पर्क में संबंध नहीं है ता द्वारा 6(3) का पालन करें।

दि. 29 जुलाई 2017

आवेदन नदी  
रतन लाल कुमी  
प्रजापति हाउस  
छठवा गंज बेल्ल  
पिलखवा (घण्टा) P.P.